

कार्यालय नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
भोपाल।

E-File No GPR/5/4/0002/2022-PUR 1239

दिनांक 06/06/22

निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद के पार्षद पद निर्वाचन-2022 के ई.व्ही.एम. मतपत्रों का मुद्रण क्रमशः पीले एवं नीले 80 जीएसएम पेपर पर किया जाना है। मुद्रण एवं कम्पोजिंग (अभ्यर्थियों के नाम, चुनाव चिन्ह एवं फोटो सहित मुद्रण होगा) नम्बरिंग, बंधन, एवं समस्त कर सहित कार्य की क्षमता रखने वाले ऐसे निविदाकार जिनकी फर्म भोपाल, ग्वायिलर, इन्दौर एवं रीवा में स्थापित हो ऐसे निविदाकारों से MAP-IT की वेबसाइट www.mptenders.gov.in से की डेटस अनुसार ऑनलाइन दरें आमंत्रित की जाती है। मतपत्रों के मुद्रण में प्रयुक्त होने वाला पेपर आकार 51cmX76cm (80 GSM) का प्रदाय शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल द्वारा मुद्रक को किया जावेगा। निविदा दिनांक 14-06-2022 को अपराह्न 2.00 बजे उपस्थित निविदाकारों /उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

2- निविदा सूचना, तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को विभाग की वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in पर निविदाकारों के अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

3- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन की सूचना www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

Key Dates And Time

last date & time for submission on online bid

13-06-2022 upto 1 pm.

Online opening of the technical Bid

14-06-2022 upto 2 pm.



नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्यप्रदेश भोपाल।

तकनीकी विवरण एवं शर्तें

क्र.	निविदाकार की प्रेस स्थापित होने का शहर	ई.व्ही.एम. मतपत्र मुद्रण तैयार किये जाने का तकनीकी विवरण	नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद के वार्डों की संख्या एवं के मतपत्र कम्पोजिंग की अनुमानित संख्या	नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद के मतपत्रों की अनुमानित संख्या	ईव्हीएम मुद्रण की दर प्रति एक हजार समस्त कर सहित के मान से प्रस्तुत करें।
1	भोपाल शहर	EVM मतपत्र का मुद्रण निर्धारित आकार 14cm चौड़ाई X 46cm लम्बाई में किया जाना है। प्रत्येक EVM मतपत्र में प्रत्याशी का नाम, चुनाव चिन्ह, फोटो (स्केन), नम्बरिंग सहित निर्धारित आकार में तैयार किया जाना है।	1861	नगर पालिका परिषद में प्रति वार्ड में मतपत्रों की संख्या 1000 से 5000 के मध्य हो सकती है।	दर की राशि प्रति एक हजार के मान से समस्त कर सहित प्रस्तुत करें।
2	इन्दौर शहर		1429	नगर परिषद में प्रति वार्ड में मतपत्रों की संख्या 500 से 1500 के मध्य हो सकती है।	
3	ग्वालियर शहर		1748		
4	रीवा शहर		585		
			कुल 5623		

- (1) मतपत्रों का मुद्रण क्रमशः नीले एवं पीले कलर पेपर 80 जीएसएम पर अनुमोदन एवं निर्देशन अनुसार किया जाना है।
- (2) ईव्हीएम पर नम्बरिंग क्रमवार संख्या में अधिकतम 6 डिजिट में अनुमोदन एवं निर्देशन अनुसार किया जाना है।
- (3) मतपत्रों का मुद्रण कार्य अधिकृत अधिकारी के अंतिम प्रूफ अनुमोदन उपरांत ही किया जावेगा।
- (4) मतपत्रों की पैकिंग 50-50 ईव्हीएम के समेकित लॉट पर Craft पेपर 60 जीएसएम का आवरण लगाकर रबड बैंड से पैक करना होगा, उक्त व्यय निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा।
- (5) निविदा प्रपत्र राशि रूपये 2000.00 एवं प्रोसेसिंग फीस का भुगतान ऑनलाइन किया जाकर निविदा प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है।
- (6) ई.एम.डी. राशि रूपये 20,000.00 का ऑनलाइन भुगतान आईटी विभाग के पोर्टल पर करना होगा।
- (7) मतपत्रों का डिस्पेच (प्रदाय) निविदाकार फर्म के कार्य स्थल से किया जावेगा। मतपत्र प्राप्त करने हेतु जिलों के अधिकृत दलों के कार्य संपादन जैसे मतपत्र के रख-रखाव, गिनती, डिस्पेच आदि कार्य हेतु 30X30 वर्गफीट के तीन बड़े हॉल की व्यवस्था निविदाकार द्वारा की जावेगी, उक्त राशि का वहन निविदाकार द्वारा किया जावेगा।

- (8) शुद्ध पेयजल/ शौचालय/दरी अथवा कालीन की बैठक व्यवस्था निविदाकार द्वारा की जावेगी।
- (9) मतपत्रों के मुद्रण का कार्य अति गोपनीय है अतः कार्य संपादन/मुद्रण/ कम्पोजिंग आदि स्थलों में सीसीटीव्ही कैमरे की व्यवस्था निविदाकार द्वारा किया जाना अनिवार्य है।
- (10) निविदा की दरें दिनांक 30 सितम्बर 2022 तक प्रभावशील रहेगी।
- (11) मतपत्रों के मुद्रण में प्रयुक्त होने वाला पेपर आकार 51cmX76cm (80 GSM) का प्रदाय शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल द्वारा मुद्रक को किया जावेगा। भोपाल मुद्रणालय से एल-1 निविदाकार द्वारा स्वयं के व्यय पर पेपर प्राप्त किया जावेगा, जिसका अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

प्रदेश के समस्त जिलों के संपूर्ण मतपत्रों का मुद्रण कार्य निर्धारित समय-सीमा 4 दिवस में किया जाना है, अतः प्रिंटिंग, स्केनिंग, कम्पोजिंग एवं नम्बरिंग की पर्याप्त क्षमता रखने वाले निविदाकार ही निविदा में भाग लें। मतपत्रों की संख्या में कमी वृद्धि हो सकती है अतः किये गये कार्य का अनुमोदित दर के मान से भुगतान किया जावेगा।

इच्छुक निविदाकारों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाता है कि उक्त कार्य निर्धारित समय-सीमा में किया जाना है, अतः कार्य की क्षमता रखने वाले निविदाकार ही निविदा में भाग लें। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यह कार्य निर्वाचन संबंधी है, निर्धारित समय-सीमा में किया जाना है, किसी भी दशा में किसी भी प्रकार की विवशता को ग्राह्य नहीं किया जावेगा। न ही किसी प्रकार की समय वृद्धि की जावेगी। यदि निर्धारित समय सीमा 4 दिवस में संपूर्ण कार्य संपादित नहीं किया जाता है, ऐसा ना करने पर निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने की श्रेणी में रखते हुये फर्म को ब्लैक लिस्ट कर समस्त प्रकार के पंजीयन रद्द करने संबंधी कार्यवाही का प्रस्ताव आयोग/शासन/स्थानीय प्रशासन को भेजा जावेगा।, उक्त हेतु निविदाकार स्वयं जिम्मेदार होगा।

तकनीकी आर्हतां

- 1-जीएसटी प्रमाण पत्र।
- 2-पेनकार्ड ।
- 3-फर्म स्थापित होने का प्रमाण पत्र।